

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांक: प्राशिप/परिषद/2024/5735

लखनऊ: दिनांक: 28-08-2024

विषय: परिषद कार्यालय से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में।

महोदय,

परिषद कार्यालय के पत्र सं०: प्राशिप/परिषद/2024/5555, दिनांक: 20.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा अनुभाग- 3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०: 95/2024/आई/694626/2024/16-3099/156/2019, दिनांक: 19 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान यू-राईज पोर्टल के माध्यम से दिनांक: 26.08.2024 करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को पुनः एवं अंतिम बार यह निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान दिनांक: 02.09.2024 तक अनिवार्य रूप से यू-राईज पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी माध्यम से सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा नहीं किया जायेगा। यू-राईज पोर्टल पर जो भी सम्बद्धता विस्तार शुल्क प्रदर्शित हो रहा है, उसी का भुगतान किया जाना है। दिनांक: 02.09.2024 तक सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा न किये जाने पर सत्र 2024-25 का सम्बद्धता विस्तार पत्र जारी नहीं किया जायेगा। यह भी स्पष्ट करना है कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क प्रति पाठ्यक्रम (प्रति ब्रांच) है। साथ ही सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा न किये जाने पर परिषद द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी डाटा अग्रसारित नहीं किया जायेगा एवं न ही छात्र/छात्राओं का इनरोलमेन्ट कराया जायेगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पृ०सं०: प्राशिप/परिषद/2024/5736-39

तददिनांक: 28-08-2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. नोडल अधिकारी, यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही हेतु।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांक: प्राशिप/परिषद/2024/SSSS

लखनऊ: दिनांक: 20/08/2024

विषय: परिषद कार्यालय से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में।

महोदय,


परिषद कार्यालय के पत्र सं०: प्राशिप/परिषद/2024/3573, दिनांक: 07.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०: 95/2024/आई/694626/2024/16-3099/156/2019, दिनांक: 19 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान यू-राईज पोर्टल के माध्यम से दिनांक: 17.08.2024 करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान दिनांक: 26.08.2024 तक अनिवार्य रूप से यू-राईज पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी माध्यम से सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा नहीं किया जायेगा। यू-राईज पोर्टल पर जो भी सम्बद्धता विस्तार शुल्क प्रदर्शित हो रहा है, उसी का भुगतान किया जाना है। दिनांक: 26.08.2024 तक सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा न किये जाने पर सत्र 2024-25 का सम्बद्धता विस्तार पत्र जारी नहीं किया जायेगा। यह भी स्पष्ट करना है कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क प्रति पाठ्यक्रम (प्रति ब्रांच) है।

उपरोक्त के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि UP PRIVATE DIPLOMA ENGINEERING AND PHARMACY ASSOCIATION, PRAYAGRAJ द्वारा दिनांक: 12.08.2024 को अद्योहस्ताक्षरी को प्राप्त कराये गये ज्ञापन को प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक: 12.08.2024 को संदर्भित कर दिया गया है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ०सं०: प्राशिप/परिषद/2024/SSS6-S9

तददिनांक: 20/08/2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।


(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव